

प्रपत्र 'क'
(नियम-7 देखिए)

आवासिक भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर स्व-निर्धारण प्रपत्र

1- स्वामी या अध्यासी का विवरण

- (एक) स्वामी / अध्यासी का नाम
- (दो) स्वामी / अध्यासी के पिता / पति का नाम
- (तीन) भवन / गृह / भूखण्ड संख्या तथा अवस्थिति का पता :-.....
- (चार) स्वामी / अध्यासी का आवासीय पता
- (पांच) अन्य विवरण – यदि कोई हो

2 – भवन या भूमि का विवरण–

- क - (एक) भवन का आच्छादित क्षेत्रफल (वर्गफुट/वर्गमीटर में).....
- (दो) खुली भूमि या भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गफुट/वर्गमीटर में)
- (तीन) अन्य व्यौरा – यदि कोई हो

ख -(एक) समस्त कमरों और समस्त आच्छादित बरामदों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट/ वर्गमीटर में)

(दो) समस्त बालकनी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट/ वर्गमीटर में)

(तीन) समस्त गैराजों का आन्तरिक आयाम (वर्गफुट/ वर्गमीटर में)

टिप्पणी :- स्नानागारों, शौचालयों, पोर्टिको और सीढ़ी द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल फर्शी क्षेत्रफल का भाग नहीं होगा।

ग -भवन का फर्शी क्षेत्रफल:- = ख (एक) + 1/2 ख (दो) + 1/4 ख (तीन)

अथवा

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 % { क(एक) X 80% }

3 – अवस्थिति का विवरण :-

क – भवन या भूमि अवस्थित है :-

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्ग पर
- (चार) 9 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर

☐
☐
☐
☐

ख- भवन निर्माण की प्रकृति :-

- (एक) आर. सी. सी. छत या आर.बी. छत सहित पक्का भवन.....
- (दो) अन्य पक्का भवन.....
- (तीन) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (एक) और (दो) में आच्छादित न हो।

☐
☐
☐

ग- भूमि (यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो) अवस्थित है:-

- (एक) 24 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर.....
- (दो) 12 मीटर से अधिक और 24 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर.....
- (तीन) 9 मीटर से अधिक और 12 मीटर तक की चौड़ाई वाले मार्गों पर.....
- (चार) 12 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्गों पर.....

☐
☐
☐
☐
☐

टिप्पणी :- कृपया लागू खानों में सही (✓) का निशान लगाएं।

4. चाहे भवन स्वामी द्वारा अध्यासित हो या किराए पर हो.....

5.भवन निर्माण का वर्ष.....

6. वार्षिक मूल्य की गणना –

(एक) अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर (प्रति वर्गफुट/ वर्गमीटर)।

(दो) अधिशासी अधिकारी द्वारा भूमि के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर (प्रति वर्गफुट/ वर्गमीटर)।

(तीन) भवन का वार्षिक मूल्य = 12X अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर X भवन का फर्शी क्षेत्रफल
= 12 X 6 (एक) X 2 ग

(चार) भूमि का वार्षिक मूल्य, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = 12 X अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर X भूमि का क्षेत्रफल = 12 X 6 (दो)X 2 क (दो)

(पांच) धारा 140 (2) (क) में यथा उल्लिखित छूट के पश्चात् स्वामी द्वारा अध्यासित होने की स्थिति में भवन का वार्षिक मूल्य.....

(छ) धारा 140 (2) (ख) में यथाउल्लिखित वृद्धि के पश्चात किराये पर होने की स्थिति में भवन का वार्षिक मूल्य.....

7. कर की गणना -

(एक) भवन या भूमि के वार्षिक मूल्य पर कर = $\frac{\text{यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य} \times \text{कर की दर}}{100}$ =

(दो) जल कर = $\frac{\text{यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य} \times \text{कर की दर}}{100}$ =

(तीन) जल निकास कर = $\frac{\text{यथा निर्धारित वार्षिक मूल्य} \times \text{कर की दर}}{100}$ =

8. अधिशासी अधिकारी द्वारा कर जमा करने हेतु निर्धारित नियत दिनांक

9. जमा किये गये कर का विवरण :-

क्रम सं.	कर	धनराशि	दिनांक	चालान/रसीद संख्या	बैंक का नाम

सत्यापन

मैंवार्ड..... के मोहल्लामें स्थित भवन संख्या.....भवन यू0आई0डी0..... का स्वामी/अध्यासी एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गये विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण हैं। इसमें दिये गये कोई विवरण न तो छिपाए गए हैं और न ही असत्य उल्लिखित है।

दिनांक

हस्ताक्षर

पूरा नाम.....

स्थायी पता

पिन कोड

दूरभाष / मोबाइल नं.

ई-मेल-.....

अनुप्रमाणक साक्षी.....

नाम

पिता का नाम

पूरा पता